संख्या: 10/2020/91 ई-2/तेरह-2020-69/2015

प्रेषक

आलोक कुमार द्विवेदी
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
सीतापुर।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 24 जनवरी, 2020

विषय:- जनपद सीतापुर में होटल जी.के. ग्रैण्ड नियर नवीन गल्ला मण्डी, शाहजहॉपुर रोड, सीतापुर को एफ.एल.-6(समिश्र) बार अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाने के संबंध मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आबकारी आयुक्त, उ.प्र., प्रयागराज को संबोधित अपने पत्र संख्या-2258/ जि.आ.अ./बार अनुज्ञापन/2019-20/सीतापुर, दिनांक 18-10-2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संदर्भगत प्रकरण में आपके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 18-10-2019 द्वारा उपलब्ध कराई गई जिला बार समिति की बैठक दिनांक 10-10-2019 के कार्यवृत्त में की गई संस्तुति तथा इसी सन्दर्भ में आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-जी-151/दस-लाइसेंस-89/एफ.एल.-6-7/बार अनु./होटल जी.के. ग्रैण्ड/सीतापुर, दिनांक 11-11-2019 एवं पत्र संख्या-जी-201/दस-लाइसेंस-89/एफ.एल.-6-7/बार अनु./होटल जी.के. ग्रैण्ड/सीतापुर, दिनांक 31-12-2019 द्वारा उपलब्ध कराई गई संस्तुति के दृष्टिगत होटल जी.के. ग्रैण्ड नियर नवीन गल्ला मण्डी, शाहजहॉपुर रोड, सीतापुर को एफ.एल.-6(समिश्र) बार अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाने की अनुमति एतद्द्वारा इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि उनके प्रतिष्ठान में आने वाले आगन्तुकों के वाहनों के कारण सार्वजनिक रास्ते पर आवागमन बाधित नहीं होगा एवं पर्किंग स्थल का स्पष्ट चिन्हांकन किया जायेगा। इकाई के अग्निशमन यन्त्र पूर्णतः क्रियाशील अवस्था में होंगे व अग्निशमन विभाग की अनापत्ति जिन शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ दी गयी है, इकाई द्वारा उनका पूर्णरूप में अनुपालन किया जायेगा। इकाई द्वारा सी.सी.टी.वी. कैमरे एवं सुरक्षाकर्मियों की समुचित/पर्याप्त व्यवस्था तथा प्रवेश द्वार पर डी.एफ.एम.डी. (डोर फ्रेम मैटल डिटेक्टर) की व्यवस्था की जायेगी।

तदनुसार कृपया अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आलोक कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

संख्या-10/2020/91 ई-2/तेरह-2020 तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रति आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र संख्या- जी-201/दस-लाइसेंस-89/एफ.एल.-6-7/बार अनु./होटल जी.के. ग्रैण्ड/सीतापुर, दिनांक 31-12-2019 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in